सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

प्रकृतिः रक्षति रक्षिता
Nature Protects if She is Protected

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र संख्या– 8बी/यू.पी./06/10/2017/एफ.सी./42 दिनॉकः 20.6.17

सेवा में,
विशेष सचिव (वन),
वन अनुभाग, 6वां तल,
बापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

<u>ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–**FP/UP/Others/21110/2016**</u>

विषयः बदायूं में चन्दौसी–बदायू मार्ग एस.एच0 43 किमी0 59 पर ग्राम मुड़िया के खसरा संख्या–210 में एस्सार ऑयल कंपनी लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075028 हे0 (पूर्व में 0. 06776 हे0) संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भः विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक– 966/14–2–2017–800 (198)/2016, दिनांक– 23.05.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक– पी–200/14–2–2016–800 (198)/2016, दिनांक– 20.01.2017 आशय ग्रहण करने ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 06.04.2017 द्वारा आवश्यक सूचनाएं चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्तुत अनुपालन आख्या एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों में प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरी का नाम एवं दिनांक अंकित नही है।

अतः प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने से पूर्व प्रकरण में एवं चाही गयी सूचना की अनुपालना आख्या में संलग्न सभी दस्तावेजों में प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरी का नाम, पद, मोहर एवं दिनांक सहित सभी दस्तावेज मूल रूप में ऑनलाईन अपलोड करते हुए प्रस्तुत करें तदोपरान्त ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

भवदीय

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक(के.)

संलग्नक– मूल प्रस्ताव

21/6/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0 प्र0।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदॉयू, उ0 प्र0।
3. प्रभागीय प्रबन्धक, एस्सार ऑयल लि0, ए–5, सेक्टर–3, नोएडा–201301
4. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली

27/4/17

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}